छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रसाशनिक सेवा संघ

//प्रेस विज्ञप्ति//

मान्यवर,

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रसाशनिक सेवा संघ सहित राजस्व निरीक्षक संघ, पटवारी संघ, कोटवार संघ, लिपिक संघ, लघु वेतन संघ, अधिकारी – कर्मचारी फेडरेशन संघ से परिचर्चा अनुसार जिला – रायगढ़ में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ में परिसर के भीतर उपद्रवी तत्वों द्वारा नायब तहसीलदार सहित न्यायालयीन स्टाफ के साथ गाली–गलौज व मारपीट की गठना पर आरोपियों की गिरफ्तारी सहित 1–4 की पुलिस सुरक्षा बल व व्यवहार न्यायालय की तर्ज पर मोहर्रिर की व्यवस्था तथा भविष्य में उपरोक्त घटना की पुनरावृत्ति न होने के लिए आवश्यक कार्यवाही की मांग पर सभी संघ के सहमति अनुसार प्रदेश भर के तहसीलदार , नायब तहसीलदार ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर काम बंद कर मांग पूरी होने पर्यंत तक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर प्रस्थान किया गया।

विदित हो कि जिला रायगढ़ में दिनांक 11.02.2022 दिन शुक्रवार को एक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में आदेश उपरांत विवाद किया गया, जिसमें मनमाने रूप से सन्तुष्ट नही होने पर बाद में उसके द्वारा उकसाने पर 150 से 200 लोग जिसमे अधिवक्ता भी शामिल रहे, के द्वारा न्यायालयीन स्टाफ लिपिक, भृत्य सहित नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर के साथ मारपीट की गठना को अंजाम देते हुए पूरे न्यायालय में भयाक्रांत माहौल उत्तपन्न करते हुए लॉ एन्ड आर्डर की स्तिथि निर्मित की गई, वीडियो वायरल किया गया। सोशल मीडिया में प्रचारित वीडियो में अधिवक्ता गण न्यायालय में कानून व्यवस्था को तार–तार करते स्पस्ट दिख रहे है। छत्तीसगढ़ राज्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा उक्त घटना की नींदा करते हुए शनिवार को प्रदेश के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने जिला– रायगढ़ पहुचकर अन्य संघों की उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व मंत्री महोदय, सचिव महोदय को प्रतिलिपी पेश किया गया।

ज्ञापन में उल्लेखित मांगों की पूर्ति नही होने पर सर्व संघों की परिचर्चा एवं सहमति अनुसार दिनांक 14.02.2022 दिन सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई।

प्रदेश कार्यकारिणी ने यह स्पष्ट किया कि हमारी लड़ाई विद्वान अधिवक्ताओ से नही है बल्कि उन उपद्रवी तत्वों से है जिन्होंने कानून की आड़ में इस घटना को अंजाम देकर पूरी कानून व्यवस्था को न केवल तार– तार कर कटघरे में खड़ा किया है बल्कि नेक नियति से काम करने वाले अधिवक्ताओं की गरिमा को भी ठेस पहुचाया है। हम संघ के माध्यम से अधिवक्ता संघ से आह्वान करते है कि ऐसे वकीलों का साथ न देकर, व्यवस्था को दुरुस्त करने में साथ दे।

साथ ही अवगत कराना चाहेंगे कि प्रदेश के सभी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार राजस्व न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की भूमिका के निर्वहन सहित 24 घंटे कानून व्यवस्था को

7.02.22

दुरुस्त बनाये रखने हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की भूमिका का निर्वहन करते है जहां हमेशा वाद–विवाद सहित शांतिभंग होने की संभावना बनी रहती है। निर्वाचन को अद्यतन बनाये रखने हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की भूमिका निभाने एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आय, जाति, निवास सहित कई अन्य ऑनलाइन कार्यों का निष्पादन करते है जिसमे हर किसी को जल्दबाजी रहती है। कोरोना काल मे लगातार कार्य करते हुए भी राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण किया है। ऐसे में लंबे अरसे से वेतन विसंगति और असुरक्षा की मार झेलते हुए अनवरत सभी को झेलकर कार्यरत तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने विगत समय अंतागढ़ तहसील, जिला–कांकेर में अतिक्रमण हटाने के कार्यवाही में माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा तहसीलदार के साथ अभद्र व्यवहार, बिलासपुर जिला कार्यालय में झूठे तथ्यों के आधार पर हंगामा, सीमगा में तहसीलदार का निलंबन, अवैध परिवहन में कार्यवाही के दरमियान तहसीलदार पर हमला जैसी कई घटनाएं है जिन पर हमने केवल ज्ञापन देकर संतुष्टि कर ली परंतु इस बार न्यायालय की अवमानना अस्वीकार है सभी पर तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही हेतु पहल हो और तहसीलदार/नायब तहसीलदारों के हितों को भी संरक्षित करते हुए कार्यवाही की जाए यही मांग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से मंगलवार को ज्ञापन प्रस्तुत कर शासन को अवगत कराया गया था।

इसी बीच बार कौंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय को 'फैक्ट फाइंडिंग कमीटी का गठन किये जाने के निर्देश का संघ स्वागत करता है और मांग करता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमिटी निष्पक्ष जांच करे और इस निंदनीय घटना को कारित करने वाले वायरल वीडियो में प्रदर्शित सभी अधिवक्ताओ का चिन्हांकन कर वकालत के आदर्श आचरण के उल्लंघन सहित न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुचाने और शासकीय कार्य मे बाधा उतपन्न करने के एवज में गिरफ्तारी सहित लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए ताकि फिर कभी भविष्य में इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति न हो।

गुरुवार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं राजस्व मंत्री महोदय के संज्ञान से सचिव महोदय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उचित पहल करते हुए संघ को अवगत कराया गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है साथ ही राजस्व न्यायालय में सुरक्षा हेतु सभी जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया गया है, साथ ही राजस्व न्यायालय को दुरुस्त किये जाने सहित कार्यों की अधिकता को कम किये जाने हेतु निराकरण किया जा रहा है। अतः आदरणीय सचिव महोदय के आश्वासन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन एवं राजस्व मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रांतीय कार्यकारिणी के सहमति पर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा घोषित अनिश्चित कालीन हड़ताल को आज दिनांक 18.02.2022 को स्थगित किया जाता है।

18/02/2022

प्रवक्ता
छ.ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ

18/2/22

प्रांताध्यक्ष
छ.ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ